



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

05 पेटी देशी अवैध शराब के साथ निवर्तमान प्रधानपति गिरफ्तार

दिनांक 08.04.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 07.04.21 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली के कुशल निर्देशन में थाना कमलापुर पुलिस व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त विजय कुमार पासी पुत्र रामकेश नि० बबुआपुर कैमा थाना रामपुरकलां, सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार रंग सफेद सं० UP 31 AC 3606 की डिग्गी से 05 अदद पेटी देशी अवैध शराब (कुल 225 शीशी 200 ml) बरामद हुई है तथा परिवहन में प्रयुक्त उपरोक्त कार को अंतर्गत धारा 72 अधिनियम सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त विजय उपरोक्त निवर्तमान प्रधानपति ग्रामसभा बबुआ मजरा कैमा है। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 141/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- विजय कुमार पासी पुत्र रामकेश नि० बबुआपुर कैमा थाना रामपुरकलां, सीतापुर

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 141/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कमलापुर, सीतापुर

बरामदगी- 05 अदद पेटी देशी अवैध शराब (45×5=225 शीशी 200 ml), स्विफ्ट डिजायर कार रंग सफेद सं० UP 31 AC 3606

पुलिस टीम थाना कमलापुर-

1. उप निरीक्षक श्री निराला तिवारी
2. का० विवेक यादव
3. का० धीरेंद्र यादव

आबकारी पुलिस टीम- आबकारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार

